विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित, श्री अनूप कुमार गुप्ता, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तर।

	प्रश्न	**उत्तर**
10(क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-341 बीजेपी यूपी-2024 दिनांक 06.12.2024 जो कि जिलाधिकारी फर्रूखाबाद को मा0 सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 16.8.2024 का अनुपालन कराये जाने व सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में राजस्व तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर मा0 सिविल न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर कब्जा दिलवाने के सम्बन्ध में प्रेषित था प्राप्त हुआ है?	जी हॉं।
(ख)	उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे?	उक्त पत्र में मा0 सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 16.8.2024 के क्रम में श्री ब्रजनन्दन पुत्र श्रीकृष्ण की वादग्रस्त भूमि पर सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर मा0 सिविल न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर कब्जा दिलवाये जाने तथा कृत कार्यवाही से मा0 सदस्य विधान परिषद को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।
(ग)	क्या सरकार द्वारा मा0 सिविल न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराकर कब्जा दिलवा दिया गया है?	जी नहीं।
(घ)	यदि, हॉं तो कब?	उपर्युक्तानुसार।
(ड़)	यदि, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत प्रकरण में मा0 ग्राम न्यायालय अमृतपुर फर्रूखाबाद के द्वारा दिनांक 16.8.2024 को आदेश पारित किया गया था। मा0 ग्राम न्यायालय अमृतपुर के आदेश दिनांक 16.8.2024 के विरूद्ध मा0 जनपद न्यायाधीश फर्रूखाबाद के न्यायालय में अपील संख्या 28/2024 रामकिशन बनाम श्रीकृष्ण ग्राम कुसमापुर

विचाराधीन है। जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 28.02.2025 नियत है।

ग्राम न्यायालय को सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियॉं प्राप्त है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा-25 की उप धारा-3 में स्पष्ट प्राविधान है कि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन उसी न्यायालय द्वारा अथवा जिस ग्राम न्यायालय को डिक्री भेजी जायेगी, के द्वारा किया जायेगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा-68 में कलेक्टर को स्थावर सम्पत्ति के विरूद्ध डिक्रियों का निष्पादन करने की शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया था, परन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम-1956 की धारा-7 द्वारा उक्त व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार सिविल न्यायालय की डिक्री का निष्पादन का अधिकार कलेक्टर को नहीं रह गया है। वादीगण सिविल न्यायालय/ग्राम न्यायालय के आदेश/डिक्री के अनुपालन हेतु निष्पादन वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री, उ0प्र0।